महत्वपूर्ण/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
(जनपद––झांसी/जालौन/ललितपुर/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर/महोबा को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 248 /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 20 .05.2019

विषयः- <u>वित्तीय वर्ष 2019-20 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)-योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-59/2019/956/सैतीस-2-2019-1(32) /2015, दिनांक 03.05.2019 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 750.00लाख के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के आबंटन आदेश संख्या-284/बजट/29(5)/अनु0-15/12/2019-20, दिनांक 13.05.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)-योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-59/2019/956/सैतीस-2-2019-1(32) /2015, दिनांक 03.05.2019 द्वारा निर्गत वित्तीय स्वीकृति की धनराशि **रू0 750.00लाख(रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र)** के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ-साथ आपके अधीनस्थ जनपद को भी परियोजना के कियान्वयन हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित करते हुये व्यय हेतु दिशा-निर्देश दिये गये है। योजनान्तर्गत बजट अनुभाग के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 13.05.2019 में प्रश्नगत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में इंगित शर्तो/दशाओं का अनुपालन करने के दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निम्न बिन्दुओं/निर्देशों का भी अनुपालन/संज्ञान लेते हुये प्रश्नगत आवंटित धनराशि का योजना के समुचित कियान्वयन हेतु तत्काल व्यय/उपयोग करना सुनिश्चित करेः-

- शासन के पत्र संख्या-2080/सैतीस-2-2016-1(32)/2015टीसी, दिनांक 26.09.2016 के माध्यम् से योजना की अनुमोदित मार्ग-निर्देशिका एवं निदेशालय के पत्र संख्या-490/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2016-17, दिनांक 03.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराई गई उक्त निर्देशिका के अनुरूप योजना के कियान्वन्यन अन्तर्गत विविध निवेशों की व्यवस्था एवं कार्यो का निष्पादन किया जाय।
- साथ ही वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के समुचित कियान्वयन हेतु निदेशालय के पत्र संख्या-2007/सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, दिनांक 30.03.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित् किया जाय।

- ***योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि सम्भावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये योजना कियान्वयन की प्रकृति के अनुरूप की जाय। कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।***
- मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद में आवंटित धनराशि, बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा के वाहनों के परिचालन में पी.ओ.एल. की व्यवस्था एवं योजना के वाहनों के अनुरक्षण आदि पर व्यय किया जाना है।
- मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों, मशीन की विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पशुचिकित्सालयों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो हेतु अनुमोदित उपकरणों में से योजना की ***मार्ग-निर्देशिका का संज्ञान लेते हुये एवं योजना के वाहन प्रभारी/सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी से स्थानीय आवश्यकता के सापेक्ष मांग को दृष्टिगत रखते हुये*** उपकरण/मशीनों की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार उपकरणों का चयन कर ***उनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम् उद्यम् विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल(प्रोक्योरमेण्ट ऑफ गुड्स)-2016, GeM-Portal एवं विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित् करते हुये किया जाय।***
- योजना में उपकरणों, मशीनों की औचित्यपूर्ण आवयकता के सापेक्ष इनका क्रय प्राथमिकता के आधार पर **GeM-Portal** के माध्यम् से किया जाय। ***GeM-Portal*** पर एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर सूची से तथा दर अनुमोदित न होने की स्थिति में आकस्मिकता की दशा में ही, स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें। योजना की मार्ग-निर्देशिका एवं आवश्यकतानुसार उपकरण/मशीनों यथा-ए.आई.किट, अम्बू बैग, आटोमैटिक वैक्सीनेटर, कैलीफोर्निया मैसटाइटिस किट, कास्ट्रेटर बड़ा, चीटल फारसेप्स, डूशकैन एसएस, ड्रेसिंग्स फारसेप्स एसएस 15से.मी., फेस मास्क विद हेपाफिल्टर, हाइपोडर्मिक नीडिल, इनाकुलेशन निडिल, इंसुलेटेड सैम्पल कैरियर, लाइरेंजोस्कोप, माउथ गैग फार कैटिल, नीडिल होल्डर,आटोस्कोप, पोस्टमार्टम किट फार पौल्ट्री, सैम्पल कंटेनर, स्टेथस्कोप, टिसू फारसेप्स 10 इंच एसएस, वैक्यूटेनर, वैक्यूटेनर एडाप्टर, वैक्यूटेनर निडिल, वास वाटल प्लास्टिक 500 एमएल, तरल नत्रजन पात्र(BA-3) विद् थ्री गाबलेट्स, फार्मलीन चैम्बर, ए0आई0शीथ, कोल्ड बाक्स, ग्लास स्लाइड, इलेक्ट्रिक/नान इलेक्ट्रिक स्टेलाइजर, इन्स्ट्रूमेण्ट किट्, टूथ कटर फार लार्ज एनिमल्स, बी0पी0हैण्डल, मायो सीजर्स कर्व्ड एण्ड स्ट्रेट, आर्टरी फारसेप, डिस्पोजेबुल सिरिंज विद निडिल, वैक्सीन कैरियर, थर्मस एसएस डबल इन्सुलेटेड, आई0वी0सेट/इन्फ्यूजन सेट, डिस्टोकिया सेट, लार्ज एनीमल पोस्टमार्टम सेट, टूथ रेस्प आदि की व्यवस्था/क्रय किया जाना है।

- मानक मद 39-औषधि तथा रसायन में आवंटित धनराशि से योजना के कियान्वयन हेतु आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये, योजना की मार्ग-निर्देशिका का संज्ञान लेते हुये आवश्यक औषधियों एवं रसायनों की व्यवस्था के लिये, केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर सूची से तथा दर अनुमोदित न होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें एवं उक्त आपूर्ति के सापेक्ष नियमानुसार इनके भुगतान पर धनराशि का व्यय किया जायेगा।
- मानक मद 42-अन्य व्यय में आवंटित धनराशि का, योजना हेतु उल्लिखित मानक मदों के अतिरिक्त योजना के कियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक मदों/व्ययों के वहन करने हेतु नियमानुसार व्यय किया जाय।
- मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि विभागीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पशुचिकित्सालयों, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो हेतु अनुमोदित सामग्रियों में से योजना की ***मार्ग-निर्देशिका का संज्ञान लेते हुये एवं सम्बन्धित पशुचिकित्सा अधिकारी से स्थानीय आवश्यकता के सापेक्ष मांग को दृष्टिगत रखते हुये*** सामग्रियों की व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार सामग्रियों का चयन कर ***प्राथमिकता के आधार पर GeM-Portal के माध्यम् से इनका क्रय किया जाय। GeM-Portal*** पर एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर सूची से तथा दर अनुमोदित न होने की स्थिति में, आकस्मिकता की दशा में ही, स्थानीय स्तर पर भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत क्रय करना सुनिश्चित करें। यथा-डिस्पोजबल ए.आई.ग्लब्स, सूचर थ्रेड, सूचरिंग निडिल, सीजर्स, बीपी ब्लेड, आटोक्लेबल सिरिंज (5एमएल, 10 एमएल), ग्लास सलाइड, कवर स्लिप, कायोबाक्स, कायोवायल्स, क्लीनिकल थर्मामीटर, डाग मास्क, बकेट, मग, एप्रन, डाक्टर्स कोट, एनिमा-पम्प, आदि के क्रय/व्यवस्था में धनराशि का व्यय/उपयोग किया जाय।
- ***मानक मद 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान*** में आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग, बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना)-योजना के वाहनों के परिचालन हेतु आऊट सोर्सिंग के माध्यम् से सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु धनराशि का व्यय किया जाय।
- उक्त के अतिरिक्त वाहनों पर उपयोग होने वाले उपकरणों के रख रखाव, विसंक्रमण तथा औषधियों/वैक्सीनों के परिरक्षण आदि हेतु प्रत्येक ब्लाक पशु चिकित्सालय पर एक अलग से स्टोर बनाकर व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

- योजना के कियान्वयन हेतु आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये योजना की मार्ग-निर्देशिका के सापेक्ष आवश्यक औषधियों/रसायनों/उपकरणों/सामग्री आदि की व्यवस्था के लिये, ***GeM-Portal*** पर, केन्द्रीय कय समिति द्वारा दर अनुमोदित न होने की स्थिति में स्थानीय स्तर पर कय करने के लिये जनपद स्तर पर गठित कय समिति के माध्यम् से कोटेशन की सीमा अन्तर्गत ***उ0प्र0 भण्डार कय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम् उद्यम् विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल(प्रोक्योरमेण्ट ऑफ गुड्स)-2016*** का पालन करते हुये उन फर्मो की दरों का ही नियमानुसार अनुमोदन प्राप्तकर इनके कय की कार्यवाही की जाय।
- धनराशि के व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यतन निर्गत कय भण्डार नियमावली विषयक शासनादेश में इंगित शर्तों/दशाओं/प्रतिबंधों के साथ-साथ विभागीय निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।
- ***योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों यथा-पशुचिकित्सा शिविरों, पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, वधियाकरण आदि की प्रगति प्रत्येक माह समयबद्ध रूप से निर्धारित प्रारूप पर मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2 को उपलब्ध करायी जाय।***

अतः उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् करते हुये योजनान्तर्गत प्रश्नगत आवंटित धनराशि का निर्धारित अवधि में नियमानुसार व्यय कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

भवदीय,

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /सा0-एक/एक्स-84(120)/बहु0स0प0चि0से0/2019-20, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि,

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने मण्डलीय जनपदों में बहुउद्देशीय सचल पशुचिकित्सा सेवायें(राज्य योजना) अन्तर्गत जनपद को आवंटित प्रत्येक वाहन के माध्यम् से निष्पादित विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति प्रत्येक दशा में पूर्व से निर्धारित अवधि में ही अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।
2. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

MULTI PURP MOB SERVI